न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर, जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी	:	**मीना गहलोत, आर.जे.एस.**
		{अतिरिक्त कार्यभार}
नम्बरी फौजदारी संख्या	:	**851/2017**
सी.आई.एस. नं०	:	**851/2017**
सी.एन.आर. नम्बर	:	**RJSG180015692017**

राजस्थान राज्य।

बनाम

विजय कुमार पुत्र मनीराम, निवासी–वार्ड नम्बर 13, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, जिला–श्रीगंगानगर।

– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–

01. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।

02. श्री थावरदास सेठी, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

– निर्णय – **दिनांक–09.04.2026**

01. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.06.2015 को वक्त 6.00 पीएम पर आहत/परिवादी बलवंतराम ने इस आशय का पर्चा बयान किया कि उसकी जमीन चक 12 एलएलजी की रोही में है, जिसमें से साढे तीन बीघा जमीन विद्यादेवी पत्नी लक्ष्मण से खरीदशुदा है। इस जमीन को लेकर उनका आपस में विजय कुमार पुत्र मनीराम के साथ विवाद चल रहा है। दिनांक 14.06.2015 को करीबन दो–ढाई बजे वह अपने खेत जा रहा था, क्योंकि आज हल्का पटवारी खेत में आया हुआ था, जब वह रास्ता रास्ता नहर की मिठूसिंहवाली पर पहुंचा तो सामने से कार में सवार होकर विजय कुमार आया व आते ही कार उसके पास खड़ी कर दी व उसे रास्ता जाते जुए को रोक कर, एक लोहे की राड़ से उसके सिर में चोट मारी, उसने बचाव हेतु अपना बायां हाथ आगे किया तो हाथ के बीच वाली अंगूलियों पर चोट लगी व माथा पर दायीं तरफ चोट लगी। चोट लगने से खून आने लगा। उसने शोर मचाया तो उसका लड़का गौरीशंकर व भांजा विजय कुमार जो उसके पीछे–पीछे आ रहे थे, तो उन्होंने ललकारा मारा तो विजय कुमार अपनी कार लेकर भाग गया, उसका लड़का गौरीशंकर ने उसे ईलाज हेतु सरकारी अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया, इत्यादि। उक्त तथ्यों के आधार पर प्र.सू.रि.सं. 132/2015 पंजीबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन अदमवकू(झूठ) में न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिस पर

परिवादी ने आपत्ति याचिका पेश की, जिस पर सुनवाई करते दिनांक 06.12.2017 को अभियुक्त के विरुद्ध 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लि या गया तथा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन व समझ कर आरोप से इंकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष की और से अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.–1 गौरीशंकर, पी.डब्ल्यू. 02 विजय सिंह, पी.डब्ल्यू. 03 मनोहरलाल के बयान सशपथ लेखबद्ध करवाये गये और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 पर्चा बयान, प्रदर्श पी. 02 लेखबद्ध करवाये गये सशपथ बयान, प्रदर्श पी. 03 विजय सिंह द्वारा लेखबद्ध करवाये गये सशपथ बयान, प्रदर्श पी. 04 मनोहलाल द्वारा लेखबद्ध करवाये गये सशपथ बयान दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये।

04 अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए कथन किया कि वह निर्दोष है और उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना चाहा।

साक्ष्य सफाई में गवाह डी.डब्ल्यू. 1 रतनलाल, डी.डब्ल्यू. 02 राजीव कायल, डी.डब्ल्यू. 03 पृथ्वीराज व डी.डब्ल्यू. 04 शंकरलाल के सशपथ बयान लेखबद्ध करवाये गये।

05. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया।

जबकि दौराने बहस अंतिम अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि परिवादी/आहत को न्यायालय में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया है, जिससे घटना कारित होने की पुष्टि नहीं होती है। पत्रावली पर चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य का अभाव है। किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अन्त में

अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

06. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है किः–

1. **"क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.06.2015 को वक्त करीबन दो–ढाई बजे, वाके रास्ता आम, रोही चक 12 एल.एल.जी. में परिवादी बलवंतराम को निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया तथा उसके साथ कुंदाला हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।''**
2. **"यदि हां तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा? ''**

07. उक्त विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 03 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर आई संपूर्ण साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन एवं अध्ययन करें तो अभियोजन पक्ष की ओर से परिवादी/आहत बलवंरात जिसके द्वारा हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, को न्यायालय में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया है, ना ही परिवादी को गवाह सूची में रखा है, जिससे प्रथमतः ही परिवादी की साक्ष्य का पत्रावली पर अभाव है। इसके अलावा परिवादी/आहत बलवंतराम द्वारा दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन करें उसमें मुख्यतः यह कथन किये गये हैं कि दिनांक 14.06.2015 को करीबन दो–ढाई बजे परिवादी अपने खेत जा रहा था, जब वह रास्ता रास्ता नहर की मिठूसिंहवाली पर पहुंचा तो सामने से कार में सवार होकर विजय कुमार आया व आते ही कार उसके पास खड़ी कर दी व उसे रास्ता जाते हुए को रोक कर, एक लोहे की राड़ से उसके सिर में चोट मारी, उसने बचाव हेतु अपना बायां हाथ आगे किया तो हाथ के बीच वाली अंगूलियों पर चोट लगी व माथा पर दायीं तरफ चोट लगी। चोट लगने से खून आने लगा। उसने शोर मचाया तो उसका लड़का गौरीशंकर व भांजा विजय कुमार जो उसके पीछे–पीछे आ रहे थे, तो उन्होंने ललकारा मारा तो विजय कुमार अपनी कार लेकर भाग गया। समग्र रूप से परिवादी ने मौका पर उसका लड़का गौरीशंकर व भांजा विजय कुमार के आने का कथन किया है। इस सम्बन्ध में गवाह गौरीशंकर व विजय सिंह की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त दोनों गवाहान को अभियोजन पक्ष की ओर से चश्मदीद गवाह के रूप में क्रमशःपी.डब्ल्यू. 01 व पी.डब्ल्यू. 02 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू.02 विजय सिंह की

प्रतिपरीक्षा का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने अपनी प्रतपिरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसने अपने मामाजी के चोटें मारते हुए नहीं देखा और ना ही गौरीशंकर ने उसके मामाजी के चोटें मारते हुए देखा। इस प्रकार के कथन अन्य चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू. 03 मनोहरलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में किये हैं कि जब मारपीट हुई उस समय वह मौका पर नहीं था, उस समय वह घर पर था। तब उसके पिता बलवंतराय का फोन आया और उन्होंने खेतके कागजलेकर उसे खेत आने के लिये कहा, उसके पिता ने बताया कि विजय कुमार ने उसके साथ मारपीट की है। इस प्रकार अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 01 गौरीशंकर की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा में कथन किये हैं कि जब मारपीट हुई, उस समय वह मौका पर नहीं था। इस प्रकार घटना के उक्त तीनों चश्मदीद गवाहान ने वक्त घटना मौका पर उपस्थित नहीं होना, मारपीट होते हुए नहीं देखने एवं गवाह पी.डब्ल्यू. 03 मनोहरलाल ने घटना की जानकारी उसके पिता बलवंतराय द्वारा बताये जाने के कथन किये हैं, जिससे अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने जो गवाहान अपनी साक्ष्य प्रतिरक्षा स्वरूप पेश कर परीक्षित करवाये हैं, उनकी साक्ष्य का अवलोकन करें तो उन्होंने अभियुक्त विजय कुमार को घटनास्थल पर नहीं होकर अपने खेत में होना बताया है, जिसका कोई खण्डन अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं किया गया है।

08. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाहान न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाए हैं उनका न्यायालय द्वारा उपर्युक्त रूप से किए गए विवेचन व विश्लेषण से न्यायालय की ओर से जो समाधान प्रकट किया गया है उससे अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु संख्या 01 संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, क्योंकि अभिलेख पर ऐसी कोई सुदृढ़, विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे अभियुक्त की प्रश्नगत आरोपित अपराध में संलिप्तता स्थापित होती हो, ऐसी स्थिति में सुदृढ़, विश्वनीय साक्ष्य के अभाव में अभियोजन कहानी संदेहग्रस्त हो जाती है तथा संदेह का साम्य अभियुक्त के पक्ष में जाने के कारण यह न्यायिक निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित प्रश्नगत आरोप दृढ़ तथा विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश –

09. परिणामतः अभियुक्त विजय कुमार पुत्र मनीराम, निवासी–वार्ड नम्बर 13,

पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, जिला–श्रीगंगानगर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में **संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत निष्पादित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु राशि 10000/– रूपये का व्यक्तिगत् बंध–पत्र एंव इसी राशि की एक प्रतिभू, इस न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

(मीना गहलोत)

10. निर्णय व आदेश आज दिनांक 09.04.2026 को सरे इजलास लिखाए जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया गया।

(मीना गहलोत)